मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 57

माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2124.24	2762.61	4886.85	1942.32	2789.61	4731.93	2124.14	2832.40	4956.54
पूंजी		*0.01*	*...*	*0.01*	*0.01*	*...*	*0.01*	*0.01*	*...*	*0.01*
जोड़		**2124.25**	**2762.61**	**4886.86**	**1942.33**	**2789.61**	**4731.94**	**2124.15**	**2832.40**	**4956.55**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	...	24.26	24.26	...	24.02	24.02	...	26.21	26.21
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.04	0.04
माध्यमिक शिक्षा										
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2202	12.60	35.00	47.60	15.05	35.00	50.05	14.00	36.00	50.00
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2202	76.50	544.77	621.27	76.50	544.77	621.27	85.00	559.00	644.00
5. नवोदय विद्यालय समिति	2202	324.00	122.60	446.60	324.00	122.60	446.60	360.00	130.00	490.00
6. सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)	2202	9.40	...	9.40	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
	3601	89.50	...	89.50	9.90	...	9.90	94.00	...	94.00
	3602	1.00	...	1.00	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	*99.90*	*...*	*99.90*	*24.90*	*...*	*24.90*	*111.00*	*...*	*111.00*
7. अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	2202	12.90	...	12.90	5.20	...	5.20	12.20	...	12.20
	3601	18.50	...	18.50	26.30	...	26.30	22.70	...	22.70
	3602	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10
	जोड़	*31.50*	*...*	*31.50*	*31.50*	*...*	*31.50*	*35.00*	*...*	*35.00*
8. विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार	2202	8.70	...	8.70	5.75	...	5.75	7.50	...	7.50
	3601	11.75	...	11.75	14.70	...	14.70	18.25	...	18.25
	3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	जोड़	*20.70*	*...*	*20.70*	*20.70*	*...*	*20.70*	*26.00*	*...*	*26.00*
9. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	2202	13.50	...	13.50	8.00	...	8.00	15.00	...	15.00
10. जनसंख्या शिक्षा परियोजना	2202	2.03	...	2.03	1.00	...	1.00	...	...	...
11. उपलब्धता एवं समानता	2202	18.00	...	18.00	10.00	...	10.00	16.00	...	16.00
	3601	...	...	...	...	...	...	3.50	...	3.50
	3602	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*18.00*	*...*	*18.00*	*10.00*	*...*	*10.00*	*20.00*	*...*	*20.00*
12. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन	2202	2.70	14.71	17.41	2.70	12.50	15.20	3.00	13.00	16.00
13. अन्य कार्यक्रम	2202	8.10	1.33	9.43	2.00	1.33	3.33	...	1.38	1.38
जोड़-माध्यमिक शिक्षा		**609.53**	**718.41**	**1327.94**	**516.35**	**716.20**	**1232.55**	**669.00**	**739.38**	**1408.38**
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा										
14. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2202	465.08	1100.00	1565.08	508.09	1101.39	1609.48	516.75	1113.80	1630.55
15. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2202	60.30	2.00	62.30	35.30	...	35.30	67.00	1.00	68.00
16. विश्वविद्यालय और महा-विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार	3601	...	0.01	0.01	...	37.99	37.99	...	1.00	1.00
17. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	2202	15.75	24.00	39.75	15.75	24.00	39.75	17.50	24.00	41.50
18. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2202	2.52	5.75	8.27	2.52	4.50	7.02	2.80	5.00	7.80
19. ग्रामीण विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	2202	0.81	...	0.81	...	...	...	0.80	...	0.80
20. शिक्षण कॉमनवेल्थ	2202	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
21. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	2202	2.47	4.50	6.97	2.72	3.75	6.47	2.75	4.00	6.75
22. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	2202	2.16	2.80	4.96	2.16	2.17	4.33	2.40	2.40	4.80
23. शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान	2202	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.93	1.93
24. अन्य कार्यक्रम	2202	4.41	1.52	5.93	2.87	1.16	4.03	5.00	1.51	6.51
	6202	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*4.41*	*1.52*	*5.93*	*2.87*	*1.16*	*4.03*	*5.00*	*1.51*	*6.51*
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा		**553.50**	**1144.58**	**1698.08**	**569.41**	**1178.96**	**1748.37**	**615.00**	**1156.64**	**1771.64**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
भाषाओं का विकास										
25. हिन्दी निदेशालय	2202	4.95	5.37	10.32	5.50	5.10	10.60	5.50	5.50	11.00
26. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	2202	1.89	1.38	3.27	1.89	1.25	3.14	2.10	1.40	3.50
27. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	2202	5.17	6.00	11.17	5.67	6.00	11.67	5.75	6.50	12.25
28. हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति	2202	10.35	...	10.35	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01
	3601	...	...	...	10.25	...	10.25	11.48	...	11.48
	3602	...	...	...	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01
	जोड़	*10.35*	*...*	*10.35*	*10.35*	*...*	*10.35*	*11.50*	*...*	*11.50*
29. क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	2202	1.42	5.95	7.37	1.42	5.13	6.55	...	...	...
30. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद	2202	8.77	...	8.77	9.50	...	9.50	9.75	...	9.75
31. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान एवं क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	2202	3.96	2.97	6.93	3.94	2.62	6.56	5.98	7.62	13.60
32. एनसीपीएसएल	2202	0.36	...	0.36	0.36	...	0.36	0.40	...	0.40
33. राष्ट्रीय भारतीय भाषा आयोग	2202	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
34. आधुनिक भारतीय भाषाएं	2202	1.26	...	1.26	1.26	...	1.26	1.40	...	1.40
	3601	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80
	जोड़	*1.26*	*0.80*	*2.06*	*1.26*	*0.80*	*2.06*	*1.40*	*0.80*	*2.20*
35. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2202	13.56	14.53	28.09	18.23	15.26	33.49	15.07	16.00	31.07
36. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	2202	2.70	...	2.70	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
37. संस्कृत शिक्षा का विकास	2202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	3601	8.55	...	8.55	11.08	...	11.08	12.25	...	12.25
	3602	0.89	...	0.89	0.11	...	0.11	0.20	...	0.20
	जोड़	*9.46*	*...*	*9.46*	*11.21*	*...*	*11.21*	*12.47*	*...*	*12.47*
38. संस्कृत - अन्य	2202	2.25	...	2.25	0.50	...	0.50	0.53	...	0.53
39. क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम	3601	...	...	...	...	...	...	31.50	...	31.50
40. मानव मूल्य शिक्षा	2202	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
जोड़-भाषाओं का विकास		**66.15**	**37.00**	**103.15**	**70.88**	**36.16**	**107.04**	**114.00**	**37.82**	**151.82**
सामान्य										
41. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना/ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां	2202	0.11	0.86	0.97	0.02	0.53	0.55	0.12	0.69	0.81
	3601	6.80	1.41	8.21	0.82	0.49	1.31	7.56	1.41	8.97
	3602	0.29	0.08	0.37	0.06	0.03	0.09	0.32	0.08	0.40
	7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*7.20*	*2.35*	*9.55*	*0.90*	*1.05*	*1.95*	*8.00*	*2.18*	*10.18*
42. पुस्तक संवर्धन	2202	10.80	7.40	18.20	6.80	7.08	13.88	12.00	9.40	21.40
43. भारतीय राष्ट्रीय आयोग/ यूनेस्को	2202	1.89	7.21	9.10	1.97	8.07	10.04	2.00	7.90	9.90
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.89*	*7.21*	*9.10*	*1.97*	*8.07*	*10.04*	*2.00*	*7.90*	*9.90*
44. आयोजना मानदण्ड	2202	2.84	2.38	5.22	4.00	2.48	6.48	3.15	2.55	5.70
	3601	28.35	...	28.35	28.35	...	28.35	...	...	...
	जोड़	*31.19*	*2.38*	*33.57*	*32.35*	*2.48*	*34.83*	*3.15*	*2.55*	*5.70*
45. सांख्यिकी	2202	0.90	...	0.90	...	...	...	1.00	...	1.00
46. प्रशासन	2202	...	3.73	3.73	...	3.73	3.73	...	4.71	4.71
जोड़-सामान्य		**51.98**	**23.07**	**75.05**	**42.02**	**22.41**	**64.43**	**26.15**	**26.74**	**52.89**
जोड़-सामान्य शिक्षा		**1281.16**	**1923.06**	**3204.22**	**1198.66**	**1953.73**	**3152.39**	**1424.15**	**1960.58**	**3384.73**
तकनीकी शिक्षा										
47. सामुदायिक पालिटेक्निक्स	2203	63.00	2.00	65.00	35.00	2.00	37.00	70.00	2.00	72.00
48. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	126.00	438.00	564.00	150.00	438.00	588.00	140.00	449.02	589.02
49. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	2203	72.00	118.13	190.13	72.00	118.13	190.13	80.00	136.69	216.69
50. छात्रवृत्तियां/अप्रेंटरशिप प्रशिक्षण	2203	13.50	10.00	23.50	13.50	10.00	23.50	15.00	10.00	25.00
51. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर, और लखनऊ	2203	22.50	49.73	72.23	22.50	49.73	72.23	25.00	49.73	74.73
52. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2203	15.30	80.00	95.30	30.00	80.00	110.00	17.00	82.00	99.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
53. ए.आई.सी.टी.ई. तकनीकी शिक्षा ब्यूरो तथा इसकी एवं बोर्डों का पुनर्गठन, पुनर्संरचना तथा सुदृढ़ीकरण	2203	90.00	30.00	120.00	90.00	30.00	120.00	100.00	30.00	130.00
54. प्रौद्योगिकी विकास मिशन	2203	7.20	...	7.20	...	...	...	8.00	...	8.00
55. अपंगों के लिए पालीटेक्नीक	2203	5.40	...	5.40	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00
56. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर	2203	2.25	4.50	6.75	2.25	4.50	6.75	2.50	4.50	7.00
57. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान	2203	4.50	8.00	12.50	2.00	6.50	8.50	5.00	8.00	13.00
58. राष्ट्रीय फोर्ज और फाउंड्री प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	3.15	6.00	9.15	0.93	3.95	4.88	3.50	4.71	8.21
59. योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय	2203	3.60	6.00	9.60	3.60	6.00	9.60	4.00	6.00	10.00
60. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	2203	10.80	16.00	26.80	8.00	16.00	24.00	12.00	16.00	28.00
61. संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	2.70	12.00	14.70	2.70	12.00	14.70	3.00	12.00	15.00
62. आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद	2203	2.25	4.50	6.75	2.25	4.50	6.75	2.50	4.50	7.00
63. आई.एस.एम., धनबाद	2203	5.40	14.50	19.90	5.40	14.50	19.90	6.00	15.00	21.00
64. अनुसंधान और विकास	2203	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	20.00	...	20.00
65. आधुनिकीकरण और पुरानी प्रणाली को हटाना	2203	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	15.00	...	15.00
66. तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	2203	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	15.00	...	15.00
67. प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड	2203	1.35	2.00	3.35	1.35	2.00	3.35	1.50	2.00	3.50
68. प्रोफेसर और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2203	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25	2.50	...	2.50
69. शिक्षा का व्यावसायीकरण	2202	3.00	...	3.00	0.20	...	0.20	2.00	...	2.00
	3601	41.50	...	41.50	9.80	...	9.80	47.00	...	47.00
	3602	0.50	...	0.50	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*45.00*	*...*	*45.00*	*10.00*	*...*	*10.00*	*50.00*	*...*	*50.00*
70. अन्य कार्यक्रम	2203	84.14	0.75	84.89	41.14	0.75	41.89	93.49	0.75	94.24
	3601	...	0.50	0.50	...	...	...	...	0.01	0.01
	3602	...	...	...	...	0.62	0.62	...	0.01	0.01
	4202	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*84.15*	*1.25*	*85.40*	*41.15*	*1.37*	*42.52*	*93.50*	*0.77*	*94.27*
पूर्वोत्तर क्षेत्र										
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास										
71. पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, इटानगर	2552	...	12.00	12.00	4.00	12.00	16.00	3.00	12.00	15.00
जोड़-तकनीकी शिक्षा		**627.30**	**814.61**	**1441.91**	**547.88**	**811.18**	**1359.06**	**700.00**	**844.92**	**1544.92**
खेलकूद और युवा सेवाएं										
72. शारीरिक शिक्षा	2204	0.43	0.65	1.08	0.43	0.65	1.08	...	0.65	0.65
	3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	...	...	...
जोड़-खेलकूद और युवा सेवाएं		**0.68**	**0.65**	**1.33**	**0.68**	**0.65**	**1.33**	**...**	**0.65**	**0.65**
73. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान**	2552	215.11	...	215.11	195.11	...	195.11	...	...	...
कुल जोड़		***2124.25***	***2762.61***	***4886.86***	***1942.33***	***2789.61***	***4731.94***	***2124.15***	***2832.40***	***4956.55***

ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	1281.91	...	1281.91	1198.68	...	1198.68	1425.00	...	1425.00
2. तकनीकी शिक्षा	22203	627.30	...	627.30	543.88	...	543.88	697.00	...	697.00
3. खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	0.68	...	0.68	0.68	...	0.68	...	...	...
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	215.11	...	215.11	199.11	...	199.11	3.00	...	3.00
जोड़-केन्द्रीय आयोजना		**2125.00**	**...**	**2125.00**	**1942.35**	**...**	**1942.35**	**2125.00**	**...**	**2125.00**
** इसमें शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में प्रदान किया गया निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*										
मांग संख्या 99		0.75	...	0.75	0.02	...	0.02	0.85	...	0.85

1. **सचिवालयः** इसमें सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

2. **विवेकाधीन अनुदानः** स्कीम का नियंत्रण करने वाले नियमों के अनुसार पात्र मामलों में वित्तीय सहायता जारी करने के लिए राशि मानव संसाधन विकास मंत्री को सुपुर्द की गई है।

माध्यमिक शिक्षाः

3. **राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंघान तथा प्रशिक्षण परिषदः** राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शैक्षणिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। एनसीईआरटी के मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और मुख्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना और सलाह देना है। मंत्रालय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भी बहतु हद तक एनसीईआरटी की विशेषज्ञता प्राप्त करता है।

स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए एनसीईआरटी के बड़े राज्यों में 5 क्षेत्रीय संस्थान हैं और उनके माध्यम से परिषद स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान संचालित करता, सहायता देता, संवर्धन करता और समन्वय करता है; शिक्षकों की सेवा-पूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण आयोजित करता है; संस्थाओं के लिए विस्तार सेवाएं प्रदान करता है; सुधरी हुई शैक्षणिक तकनीकी पद्धतियों और अभिनव कार्यों को विकसित करता और उनका प्रयोग करता है; शैक्षणिक जानकारियां संग्रहित, संकलित करता है और उन पर कार्यवाही तथा प्रचार करता है; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करने में सहायता करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है, विकास के लिए एशिया और प्रशांत शैक्षणिक अभिनव कार्यक्रम (एपीईआईडी) "यूनेस्कों", बैंकाक के राष्ट्रीय विकास दल (एनडीजी) के शैक्षणिक सचिवालय के रूप में कार्य करता है और पाठ्य पुस्तकें तैयार, मुद्रित और वितरित करता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनसीईआरटी के लिए 60.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

4. **केन्द्रीय विद्यालयः** केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, उनका नियंत्रण व प्रबंध करने के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक पंजीकृत निकाय के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1965 में स्थानान्तरणीय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की गई थी। यह संगठन विदेशों में स्थित 2 केन्द्रीय विद्यालयों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 843 केन्द्रीय विद्यालयों का प्रशासन करता है।

5. **नवोदय विद्यालयः** प्रतिभाशाली बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, देश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय विद्यालय अर्थात् नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1985-86 में निर्णय लिया गया था। इन विद्यालयों को स्थापित करने और इनका प्रबंध करने के लिए एक स्वायत्त संगठन अर्थात् नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई है। इस समय, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, पूना, शिलांग, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना में नवोदय विद्यालय संगठन के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब तक 482 नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत, सभी विद्यार्थियों को आवास, खानपान, स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की सुविधा मुफ्त दी जाती है।

6. **स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी):**

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की योजना स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (सीएलएएसएस) और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी (ईटी) की मौजूदा योजनाओं का विलयन करके तैयार की गई है। इन दोनों योजनाओं के मुख्य धटक निम्नानुसार हैं:

स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (सीएलएएसएस):

संशोधित "सीएलएएसएस" योजना के अधीन 75% निधियां केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी और शेष 25% निधियों का अंशदान राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर शिक्षा योजना (सीईपी) के अनुसार अतिरिक्त अथवा राज्य/संघ राज्य सरकार के अंशदान के विकल्प के रूप में राज्य/संघ राज्य सरकार अथवा एमपीएलएडी से किया जाएगा। इस योजना के अधीन केवीएस और एनवीएस प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक स्कूल "स्मार्ट" स्कूल में परिवर्तित करेंगे। इस योजना की समीक्षा की जा रही है।

शैक्षणिक प्रौद्योगिकीः

कार्यक्रम उत्पादन को मुख्य उद्देश्य मानकर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में छह राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईईटी) स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों को चलाने के लिए 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

7. **विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आईईडीसी):** इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को स्कूलों में विद्यालय प्रणाली में बनाए रखने में सहायता पहुंचाकर सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक उपस्कर, प्रोत्साहन और विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी सहभागिता) सरकारों को यह सुनिशिचत करने के लिए एक सांविधिक उत्तरदायित्व सौंपता है कि सभी विकलांग बच्चे 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करें।

8. **स्कूलों में गुणवत्ता सुधारः**

I. 10वीं योजना के दौरान "स्कूलों में गुणवत्तासुधार" की केन्द्र प्रायोजित संयुक्त स्कीम को विभाग की पांच मौजूदा स्कीमों को उसके घटकों के रूप में शामिल करते हुए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

II. प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

उद्देश्यः

1. ऐसी आधारभूत संरचना का पता लगाना और उसके विकास को बढ़ावा देना जिसका स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार पर प्रभाव पड़े।

2. विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या, मानव अधिकार, भाषा, ललित कलाओं, संगीत लोक साहित्य, योग, खेल-कूद कार्यकलाप आदि जैसे क्षेत्रों में पाठ्यक्रम समृद्धि, परियोजनाओं को बढावा देना और उन्हें प्रारंभ करना।

3. स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देते हुए समानता और विविधता, साझा स्कूल प्रणाली और सभी के लिए उत्कृष्टता के मुद्दे को केन्द्र बिन्दु में लाना।

4. स्कूलों की विभिन्न प्रणालियों--सरकारी, सहायता-प्राप्त अथवा गैर-सहायताप्राप्त के बीच संसाधनों और विशेषज्ञता की नेटवर्किंग और भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समग्र सुधर हो सके।

घटकः

स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के नाम के अधीन विलय की गई निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित स्कीमें उसके एक घटक के रूप में जारी रहेगी:

1. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार
2. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड
3. स्कूली शिक्षा के लिए पर्यावरणीय उन्मुखीकरण
4. जनसंख्या शिक्षा

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित नए घटक भी प्रारंभ किए जा सकते हैं:

6. कला शिक्षा
7. कार्य शिक्षा
8. खेल-कूद, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा
9. स्वच्छता सुविधाएं, पुस्तकालय आदि जैसी अतिरिक्त अवसंरचनाएं
10. प्रधानचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास और सेवा के दौरान प्रशिक्षण
11. अनुसंधान, आंकलन, नेटवर्किंग, समर्थन, प्रचार और अन्य संबद्ध कार्यकलाप, जो मुद्दे पर ध्यान देते हैं और स्कूल प्रणाली में गुणवत्ता, समानता और उत्कृष्टता का विकास संवर्धित करना।

कार्यान्वयन भागीदार

राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, पंजीकृत सोसायटियां, सार्वजनिक न्यास और लाभ अर्जित नहीं करने वाली कंपनियां इस कार्यक्रम के अधीन समर्थन और भागीदारी के लिए पात्र होंगी।

सं.57/माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

9. **मुक्त विद्यालय कार्यक्रमः** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। इसका अब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय गमन संस्थान(एनआईओएस) के रूप में पुनःनामकरण किया गया है। वर्ष 1990 में,भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से एनआईओएस में स्नातक-पूर्व स्तर के पाठ्यक्रमों तक उसके पास पंजीकृत विद्यार्थियों की जांच और प्रमाणित करने का प्राधिकार निहित किया गया था। एनआईओएस का उद्देश्य स्कूल की शिक्षा पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर शिक्षा के अवसर प्रदान करने और प्राथमिक से स्नातक-पूर्व स्तर तक उसके शैक्षणिक,जीवन समृद्ध और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के माध्यम से विकासात्मक शिक्षा प्रदान करना है। यह औपचारिक प्रणाली के एक विकल्प के रूप में स्कूल के चरण पर मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है।

11. **समानता के साथ अभिगम्यताः** यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए माध्यमिक शिक्षा पर कार्यदल की सिफारिशों पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई एक नई स्कीम है। स्कीम के अधीन निम्नलिखित तीन घटक प्रस्तावित हैंः

1. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित लड़कियों के छात्रावास के मौजूदा कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण
2. माध्यमिक स्कूल स्थापित करने के लिए विख्यात गैर-सरकारी संगठनों,न्यासों,सोसायटियों और राज्य सरकारों आदि को एकमुश्त सहायता।
3. चयनित स्कूलों में दूसरी पाली खोलने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को सहायता देना।

इस स्कीम के अधीन कक्षा 6-12 की बालिका विद्यार्थियों के लिए छात्रावास-चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस स्कीम के वर्ष 2003-04 से पूर्णतः कार्यान्वित होने की संभावना है। अन्य कई घटकों (ऊपर सूचीबद्ध) को भी उस वर्ष के दौरान प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

12. **केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासनः** केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सीटीएसए) वर्ष 1961 में एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। सीटीएसए का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में बिखरे हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। सीटीएसए के 79 स्कूल हैं।

13. **अन्य कार्यक्रमः** इनमें स्कूल शिक्षा,आक्रमणों के दौरान मृत/विकलांग सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों को शैक्षणिक रियायत,शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार,स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्म के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षाः

14. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः** इसकी स्थापना विश्वविद्यालय के स्तरों में समन्वय और निर्धारण के प्रयोजन से सन् 1956 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके कार्यों के निष्पादन के लिए अधिनियम के अंतर्गत आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के विकास और रख-रखाव के लिए अनुदान वितरित व आबंटित करने का अधिकार प्राप्त है और अन्तरविश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना प्रचालन करने का अधिकार प्राप्त है।

15. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयु):** जनसंख्या के एक बहुत हिस्से को, और विशेष रूप से लाभ वंचित समूह को, उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने, नियमित शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने और महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों, जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरु करने के लिए सितम्बर, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय देश के शैक्षणिक पैटर्न में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली और मुक्त विश्वविद्यालय को बढ़ावा देगा और ऐसी प्रणालियों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करेगा। यह कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन सांविधिक प्राधिकरण के रूप में एक दूरस्थ शिक्षा परिषद स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय ने दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर अपने कार्यक्रम का प्रसारण भी प्रारंभ किया है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने दिनांक 26.01.2000 को "ज्ञान दर्शन" शैक्षणिक दूरदर्शन चैनल प्रारंभ किया था, जो अब 24 घंटों का चैनल हो गया है। "ज्ञान वाणी" दिनांक 7 नवम्बर, 2001 को प्रचालनात्मक हो गई है। इसके अधीन इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षणिक और विकास को पूर्णतः समर्पित 40 एफएम रेडियो चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है।

16. **विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधारः** यह प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित वेतन पुनरीक्षा समिति की सरकार द्वारा यथास्वीकृत सिफारिशों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

17. **भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषदः** भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना मुख्यतः अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, अनुसंधान अध्येतावृत्तियों को पुरस्कृत करने, अनुसंधान प्रणाली विज्ञान/कम्प्यूटर उपयोग संबंधी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने, अनुसंधान संस्थाओं को विकासात्मक अनुदान देने और अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने, डाटा प्रोसेसिंग में मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, डाटा बैंकों की स्थापना करने, प्रलेखन सेवाओं के केन्द्रों का विकास करने, चुनिंदा समाजविज्ञान साहित्य के प्रकाशन/अनुसंधान प्रकाशनों/अनुसंधान सर्वेक्षणों और समाजविज्ञान से संबद्ध सेमीनारों और कार्यशालाओं के आयोजन और प्रायोजन को वित्तपोषित करने, अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने, उन्हें अध्ययन संबंधी अनुदान प्रदान करने आदि के लिए की गई थी।

18. **भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) :** भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) की स्थापना ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए निधियां उपलब्ध कराने और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में की गई थी। यह कला, साहित्य और दर्शन तथा पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, पुरालेखशास्त्र और हस्तलिपियों के ऐतिहासिक अध्ययन जैसे सम्बद्ध विषयों सहित ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। परिषद फेलोशिप, अध्ययन व यात्रा अनुदान और प्रकाशन सब्सिडियां प्रदान करता है। यह सेमिनारों और शैक्षणिक सम्मेलनों का आयोजन करता है और ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए देश के भीतर और बाहर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता देता है।

19. **राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषदः** राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद को 19 अक्तूबर, 1995 को हैदराबाद में केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है । इसके लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मागांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के रूपान्तरण के लिए सूक्ष्म आयोजना की चुनौतियों को लिया जा सके और गांधीवादी प्राथमिक शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों में कार्यरत नेटवर्क को सुदृढ़ करने और संस्थाओं को विकसित करने का काम लिया जा सके।

20. **कामनवैल्थ आफ लर्निंगः** कामनवैल्थ आफ लर्निंग (सीओएल) की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसका कार्य दूरवर्ती शिक्षा द्वारा प्रदत्त क्षमता का प्रयोग करके राष्ट्रमंडल के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ज्ञान के अवसर सृजित करना और उन तक पहुंच बढ़ाना है।

21. **भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, (आईआईएएस):** भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) अनुसंधान के लिए 1965 में गठित एक आवासीय केन्द्र है और यह चुनिंदा विषयों जैसे मानव विज्ञान, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान आदि में रचनात्मक विचारों के संवर्धन को प्रोत्साहित करता है। आईआईएएस, शिमला प्रतिवर्ष उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करता है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सेमिनार आयोजित करता है जिसमें सैद्धान्तिक मुद्दों और समकालीन समस्याओं की जांच करने के लिए संस्थान के शैक्षणिक बिरादरी के सदस्यों के साथ सहभागिता के लिए असाधारण विद्वानों और विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाता है।

22. **भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्लीः** भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) की स्थापना सरकार द्वारा दर्शनशास्त्र और सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिषद फेलोशिप प्रदान करता है, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठयक्रम आयोजित

करता है, सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, विद्वानों को विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों में अपने पेपर प्रस्तुत करने के लिए यात्रा अनुदान देता है, बड़ी और लघु परियोजनाओं को प्रायोजित करता है और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के प्रकाशन और एक त्रैवार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

23. **शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थानः** शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान की स्थापना मुख्यतया शैक्षणिक क्रियाकलापों की सुविधाएं प्रदान करके भारत और कनाडा के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1968 में की गई थी।

24. **अन्य कार्यक्रमः** इनमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ,डा0 जाकिर हुसैन स्मारक महाविद्यालय,अखिल भारतीय महत्व के उच्चतर शिक्षण संस्थान,राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापकों को सहायता-अनुदान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

भाषाई विकास संस्थाएं:

25. **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सीएचडी):** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना 1960 में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी भाषा का प्रचार और एक संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास करना था। इस निदेशालय के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी तथा चेन्नैई में स्थित हैं। इस संस्थान द्वारा द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दावलियों का प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम, हिन्दी लेखकों को पुरस्कार, विस्तार सेवाएं और कार्यक्रम, कैसेटों के द्वारा हिन्दी तथा हिन्दी प्रचार, जिसमें पुस्तकों के प्रकाशन और उनकी खरीद के लिए सहायता योजना भी शामिल है, जैसी योजनाओं का संचालन किया जाता है।

26. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्तूबर, 1961 में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करना, सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें और संदर्भ साहित्य तैयार करना, अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान करना, एक राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना करना और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक माध्यम के निर्बाध परिवर्तन के लिए शब्दावली कार्यशालाओं का आयोजन करना था। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के अपनाए जाने के लिए, आयोग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार की जाती हैं।

27. **केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केएचएसएम, आगरा):** हिन्दी के अखिल भारतीय मानकों को उन्नत करने और इसके विकास तथा पूरे भारत में प्रचार के लिए, एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था "केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल" की स्थापना 19 मार्च, 1960 में की गई थी। इसके द्वारा केन्द्रीय हिन्दी विद्यालय, आगरा और दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी और शिलांग में क्षेत्रीय केन्द्रों का संचालन किया जाता है। यह संस्थान एक विशिष्ट भाषा के तौर पर हिन्दी के प्रयोग और इसके अध्यापन के प्रचार और विस्तार, जनजातीय भाषाओं का सर्वेक्षण और उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करने तथा धीरे-धीरे शिक्षा को उनकी मातृभाषा से हिन्दी में परिवर्तित करने, सेवाकालीन अध्यापकों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षित करने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अध्यापकों को अल्प अवधि वाले पाठ्यक्रम से परिचित कराने, हिन्दी के प्रचार के लिए एजेंटों और एजेंसियों को नियुक्त करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश में हिन्दी प्रचार की स्कीम भी चलाता है।

28. **भाषा अध्यापकों की नियुक्तिः** स्कीम के तीन मुख्य घटक हैं:-

(क) **अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण योजना**

इस योजना के अधीन हिन्दी अध्यापकों के लिए वेतन,नियुक्ति आदि संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए एक-योजना अवधि के लिए गैर-हिन्दी भाषा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है,जिसके बाद उत्तरदायित्व संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अंतरित किया जाता है। तथापि,केंद्र सरकार नियुक्त किए गए नए अध्यापकों के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखती है।

(ख) **हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एमआईएल(हिन्दी को छोड़कर) अध्यापकों की नियुक्ति**

स्कीम का मूल उद्देश्य तीसरी भाषा (मातृभाषा के अतिरिक्त) के लिए अध्यापक की नियुक्ति करने के लिए वित्तपोषण भार को बांटते हुए त्रिभाषा सूत्र का संवर्धन करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना है।

(ग) **उर्दू-अध्यापकों की नियुक्ति स्कीम और उर्दू अध्यापन के लिए मानदेयः**

इस योजना के अधीन,योजना अवधि को ध्यान में रखे बिना,5 वर्षों की अवधि के लिए नए पदों के प्रति नियुक्त किए गए उर्दू-अध्यापकों के वेतन के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मौजूदा अध्याकों को विद्यार्थियों को उर्दू पढ़ाने के लिए 500 रुपए प्रति माह अथवा नियमित अध्यापकों के मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से,राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से जो भी कम हो,मानदेय भी दिया जाता है। स्कीम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के केन्द्रित ब्लॉकों/जिलों में कार्यान्वित की जाती है।

29. और 31. **केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल):** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति का विकास/कार्यान्वयन करने के लिए और भाषा विश्लेषण,भाषा शिक्षा-शास्त्र भाषा-तकनीक और समाज में भाषा के प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान करके भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने में सहायता करने के लिए 1969 में की गई। इसके सात क्षेत्रीय केन्द्र हैं: (1) मैसूर (2) पुणे (3) भुवनेश्वर (4) पटियाला (5) सोलन (6) लखनऊ (7) गुवाहाटी। यह स्वैच्छिक संगठनों और अलग-अलग व्यक्तियों को भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन और खरीद के लिए अनुदान भी देता है।

30. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषदः** राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में दिनांक 1.4.1996 से कार्य करना आरंभ किया है जिसका उद्देश्य कैलीग्राफी प्रशिक्षण केन्द्रों, उत्पादन और प्रकाशन योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम योजना के माध्यम से उर्दू भाषा के साथ-साथ अरबी और पारसी भाषाओं का संवर्धन करना है।

32. **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल, वडोदरा):** राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना अप्रैल, 1994 में की गई थी जिसका उद्देश्य सिंधी साहित्य प्रकाशन/सम्मेलनों और गोष्ठियों के आयोजन द्वारा सिंधी भाषा का विकास, संवर्धन और प्रचार करना है।

33. **भारतीय भाषा संवर्धन परिषद :** देश में भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने तथा भारतीय भाषाओं के संवर्धन, विकास तथा प्रचार के लिए उपायों पर समय-समय पर सरकार को सिफारिशें करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय भाषा संवर्धन परिषद का गठन किया गया है।

34. **केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सीआईईएफएल):** केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, भाषा में अच्छे शिक्षण मानदंड बनाए रखने के लिए एक प्रयास राज्य सरकारों के सहयोग से स्कूल-अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम देता है,अध्यापन-साग्रमी का विकास करता है और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थन की स्कीम का कार्यान्वयन/मानीटर करता है,तथा अंग्रेजी शिक्षण जिला केन्द्रों को निधि प्रदान करता है।

35. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानः** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (?) संस्कृत के परिरक्षण, प्रचार, परंपरा, संस्कृत में परम्परागत शिक्षा और अनुसंधान के आधुनिकीकरण और (??) प्रचार के लक्ष्य वर्ष 1970 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया। स्थापित या अपनाए गए सभी केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के प्रबंध के लिए इस संस्थान द्वारा गठित संस्थानों में अध्यापन के लिए विद्यार्थियों को डिग्रियां और प्रमाणपत्र प्रदान करता है। यह पूरे भारत में व्याप्त संस्कृत संगठनों और संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों की स्कीम के अंतर्गत 20 स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों और तीन स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। संस्थान विद्वानों को उनके मूल/अनुसंधान कार्य के प्रकाशन और दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान देता है। संस्थान द्वारा विभिन्न शास्त्रों/संस्कृत अध्ययन की नियमावली में युवा विद्वानों और विद्यार्थियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए शास्त्र चूड़ामणि योजना के तहत संस्कृत के प्रतिष्ठित सेवानिवृत विद्वानों को भी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान भारत और विदेशों में संस्कृत के साधारण प्रशिक्षुओं के लिए हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत भाषा सीखने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है। इसे 7.5.2002 को विश्वविद्यालय मानने की घोषणा की गई थी।

36. **महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान,उज्जैनः**

महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान,की स्थापना अगस्त,1987 में वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के परिरक्षण, संरक्षण और विकास के लिए, पाठशालाओं तथा अन्य माध्यमों और संस्थाओं के जरिए वेदों के अध्ययन और

अनुसंधान संविधाओं के सृजन और संवर्धन के लिए की गई ताकि वेदों में निहित ज्ञान की समृद्ध संपत्ति को प्रकाश में लाया जा सके और इसके सामयिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके। इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठान विभिन्न कार्यक्रम और कार्यकलाप करता रहा है,जिसमें शामिल हैं परम्परागत वैदिक संस्थाओं और विद्वानों को सहायता देना, शिक्षावृत्ति प्रदान करना, वेद सम्मेलन और सेमिनार करना, प्रकाशन प्रकाशित करना आदि। मंत्रालय ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए थे। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि चालू स्कीमों और नई स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वार्षिक रूप से बजटीय सहायता दी जाएगी।

37. और 38. **संस्कृत शिक्षा की विकास योजनाः** भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती हैः (क) निर्धनता की स्थिति में प्रतिष्ठित संस्कृत पंडितों की सहायता, (ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण, (ग) हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, (घ) हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, (ङ) संस्कृत के संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों हेतु तथा (च) स्कूलों, संस्कृत कॉलेजों/विद्यापीठों में संस्कृत पढ़ाने की प्रणाली को बेहतर बनाने तथा इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान/सम विश्वविद्यालयों/ सी.बी.एस.ई./एन.सी.ई.आर.टी. आदि को उचित अनुकूलता प्रदान करना।

39. **क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रमः**

अल्पसंख्यक शिक्षाः

शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, समानता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की संकल्पना करती है। विभाग में उसके अनुसरण में स्कीमों की शुरूआत की जैसेः

(क) **शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रमः**

- शैक्षिक रूप से पिछड़पन अल्पसंख्यकों के संकेन्द्रण क्षेत्रों में मूल आधारसंरचना और सुविधाएं प्रदान करना,जिनके पास प्रारंभिक और सेकेंडरी शिक्षा का पर्याप्त प्रावधान नहीं है।
- राज्य सरकार और स्वैच्छिक संगठन (राज्य सरकारों के माध्यम से) निम्नलिखित के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायताः-
  - * बालिकाओं के लिए नए प्राथमिक/उच्चतर प्राथमिक स्कूलों और आवासीय उच्चतर सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना।
  - * मौजूदा स्कूलों में शैक्षणिक आधारढांचे और भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
  - * जहां विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, बालिकाओं के लिए बहु-मुख्य विषय आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना।

(ख) **मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरणः**

इस स्कीम का उद्देश्य मदरसों और मकतब्स जैसी पारंपरिक संस्थाओं को, उनके पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी शुरु करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना है। एक केन्द्रीय स्कीम के रूप में इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके अधीन केन्द्र द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

40. **शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों को सुदृढ़ करना(मानव-मूल्यों में शिक्षा):**

इस स्कीम के अधीन सरकारी एजेंसियों,शैक्षिक संस्थाओं,पंचायती राज संस्थाओं,पंजीकृत सोसायटियों ,लोक न्यासों और गैर-लाभकारी कंपनियों को परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजनाओं को स्कीम के पैरामीटरों के अंदर गैर-सरकारी संगठनों आदि को मंजूरी दी जाती है और वित्तीय परिव्यय प्रदान किया जाता है। स्कूल में संस्कृति और मूल्यों और शिक्षा की अनौपचारिक प्रणाली को सुदृढ़ करने से संबंधित कार्यकलापों के लिए स्कीम के अधीन अनुदान-सहायता समिति द्वारा यथानुमोदित प्रत्येक मामले में 5.00 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के अंदर परियोजना की लागत के 100 प्रतिशत तक की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामान्यः

41. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीमः** राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को समर्थन देना और उन्हें मैट्रिक के पश्च स्तर पर राज्यवार योग्यता आधार पर मान्यता और वित्तीय सहायता देते हुए अध्ययन में शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ बनने के लिए बढ़ावा देना है और ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 6 से 12 तक मेधावी और योग्य विद्यार्थियों को भी अलग से मान्यता और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

विदेश में भारतीय राष्ट्रिकों को उच्चतर अध्ययन के लिए विदेशी सरकारों/ संगठनों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियांः

भारतीय विद्वानों को विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्म और राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति के अधीन प्रस्तुत की गई छात्रवृत्तियों आदि के प्रति उच्चतर अध्ययन/विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। विदेश में खर्चे विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा और बहुत से मामलों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा लागतों द्वारा भी पूरे किए जाते हैं।

42. **पुस्तक संवर्धनः**

चालू योजना

I. वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा स्थापित नैशनल बुक ट्रस्ट,बेहतर साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है तथा जनता के प्रयोजनार्थ संतुलित मूल्यों पर ऐसे साहित्यों को उपलब्ध भी कराता है। नेशनल बुक ट्रस्ट को अनुदान की योजनाएं पुस्तक संवर्धन के लिए संस्थाएं के रूप में जाना जाएगाः

II. ग्रंथ संवर्धन संबंधी गतिविधियों अर्थात ग्रंथ संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान की परियोजना के तहत ग्रंथ संवर्धनात्मक गतिविधियों से संबंधित वार्षिक सभाएं,सेमिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम,कर्मशालाएं आदि के संगठन के लिए स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान दिए जाते हैं। यह योजना वर्ष 2002-2003 से ग्रंथ संवर्धनात्मक गतिविधियां और स्वैच्छिक एजेंसियां के रूप में जाना जाएगा। उपर्युक्त गतिविधियों पर अनुमोदित किए गए व्यय के 75 प्रतिशत मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाता है और अन्य अनुदानग्राही संगठनों द्वारा पूरा किया जाता है।

नई योजना

III. देश में स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों में पुस्तक-अध्ययन की आदत को प्रोत्साहन देने के लिए दसवीं योजना की अवधि के दौरान एक शैक्षणिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता योजना तैयार की जानी है। यह योजना पूरी की जा रही है।

बौद्धिक संपत्ति शिक्षा, अनुसंधान और जनता की पहुंचः

यह स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों,माने गए विश्वविद्यालय जैसे संस्थान,महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से संबद्ध संस्थानों,कॉपीटाइट सोसायटियों और लेखकों प्रकाशकों,कलाकारों आदि को आईपीआर मामलों और कापीराइट मामलों तथा साथ ही आईपीआर मामलों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए है।

अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट यूनियन-विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन(विपों)को भारत का अंशदानः

यह स्कीम विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन (विपो), जिसका भारत एक सदस्य है, को भारत के वार्षिक अंशदान को पूरा करने के लिए है। प्रावधान विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में घटबढ़ की पूर्ति के लिए रखा गया है।

43. यूनेस्कोः

आयोग की बैठकों के व्यय को पूरा करने और यूनेस्को के लक्ष्य और उद्देश्यों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमें यूनेस्को प्रभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों के संवर्धन में लगे स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरणः इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों/यूनेस्को क्लब/संबद्ध स्कूलों को यूनेस्कों के लक्ष्य और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकलाप आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

औरोविल्ले प्रबंधः औरोविल्ले फाऊंडेशन अधिनियम औरोविल्ले के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यकलापों सहित फाऊंडेशन के प्रबंध के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत करने की व्यवस्था करता है।

यूनेस्को हाऊस का निर्माणः भारत यूनेस्को, नई दिल्ली को मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए वचनबद्धता है। अभी तक कार्यालय एक किराए के भवन से कार्य कर रहा है,जिसके लिए किराया माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा अदा किया जा रहा है। दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय का भवन निर्मित करने का निर्णय किया गया है। प्रावधान शहरी विकास मंत्रालय के बजट में किया गया है।

विदेशी शैक्षणिक संबंध का सुदृढ़ीकरण(शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के रूप में पुनःनामित): इस स्कीम के अधीन सीईपी/ईईपी के अधीन द्विपक्षीय कार्यक्म के कार्यान्वयन और शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

योजना मानदंडः

44. (?) **राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थानः** राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एवं पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस संस्थान के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन में अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं समन्वित करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, केन्द्र और राज्यों के स्तर के कर्मचारियों एवं वरिष्ठ स्तर से शैक्षणिक प्रशासकों को प्रशिक्षित करना, अन्य एजेंसियों, संस्थाओं एवं संगठनों के साथ सहयोग करना, दूसरे देशों विशेषकर एशियाई क्षेत्र के भाग लेने वालों को ऐसे प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करना, और इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेज, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण एवं प्रकाशन करना शामिल है। इस संस्थान के उद्देश्यों में अन्य देशों के साथ शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव एवं विशेषज्ञता की साझेदारी करना और तुलनात्मक अध्ययन करना भी शामिल है।

भारत शिक्षा कोश (बीएसके)

सरकार ने, वास्तविक अपेक्षाओं और उपलब्ध बजटीय सहायता के बीच के अंतराल की पूर्ति करने के लिए सभी संबंधित सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाने का निर्णय लिया है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि, विभिन्न शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए भारतीय मूल्य के व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय, केन्द्र और राज्य सरकारों, व्यक्तियों और कॉरपोरेटों से दान/अंशदान/अक्षयनिधि प्राप्त करने के लिए एक भारत शिक्षा कोश का निर्माण किया जाए। उक्त कोश में दिए जाने वाले अंशदान नकद के रूप में और अन्य किसी भी प्रकार से भी दिया जा सकता है। यह पद्धति एक प्रयोजकता की भी अनुमति देती है, जिसके तहत किसी भी संगठन अथवा व्यक्ति किसी विशिष्ट गांव, हाऊन, शहर , स्कूल कॉलेज के शैक्षणिक कार्यकलापों का प्रायोजक बन सकता है अथवा किसी बच्चे के जरिए भी निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया जा सकता है। प्रयोजक द्वारा निर्दिष्ट राशि के भुगतान किए जाने के बाद ही किसी स्कूल अथवा कॉलिज अथवा किसी बिल्डिंग अथवा उसके किसी खंड का नाम रखा जा सकता है। इसी प्रकार, किसी शैक्षणिक संस्थान की कुर्सियों, उपहारों, छात्रवृत्ति आदि को भी किसी प्रयोजक के नाम पर संस्थापित किया जा सकता है। यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत सरकार की ओर से पहले की गई 1.00 करोड़ रुपए की एक प्रारंभिक अंशदान के द्वारा इस कोश का प्रारंभ किया जाए। कोश के गठन के लिए सभी रूपात्मकताओं की तैयारी की जा रही है।

45. **सांख्यिकीः** आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने, सांख्यिकीय परिणामों के प्रकाशन में समय-अंतराल कम करने और समय-समय पर सर्वेक्षण करने को सरल बनाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक सांख्यिकी एवं शिक्षा प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना से संबंधित मशीनरी को सुदृढ़ करने की एक केन्द्रीय स्कीम सक्रिय रूप से विचाराधीन है। वर्तमान स्कीम में अर्हता प्राप्त कार्मिकों की नियुक्ति के द्वारा इस कमी को दूर करने का ही नहीं बल्कि डी.पी.ई.पी. आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के अधीन पहले से ही विद्यमान जनशक्ति एवं उपस्करों का जायजा लेना भी है। जनशक्ति एवं उपस्कर की एक साथ उचित रूप से "पूलिंग" की जाएगी और सरकार द्वारा चलायी गई विभिन्न शैक्षणिक स्कीमों के समग्र अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

46. **प्रशासनः** इसमें विदेश में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

तकनीकी शिक्षा

47. **समुदायिक पॉलीटैक्निकः**

पालीटैक्निक, ऐसी भौतिक सुविधाओं (व्याख्यान कक्षा, कार्यशाला, छात्रावास, सामग्रियां) से सुसज्जित हैं, जिसका प्रयोग ग्रामीण समुदायों में कौशलों और ज्ञान की एक केंद्र श्रृंखला के रूप में किया जा सकता है। इसके पास योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे संकाय है, जिसको ग्रामीण आधारित कार्यक्रमों और परियोजनाओं, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर प्रौद्योगिकी का अंतरण शामिल हैं, को वैज्ञानिक तौर पर रूपीकृत कार्यान्वित एवं संचालित किया जा सकता है।

समुदाय बहुशिल्प संस्थाएं सामान्य बहुशिल्प संस्थानों से भिन्न पृथक संस्था नहीं है। यह मौजूदा बहुशिल्प संस्था का एक स्कंध है, जिसको बहुशिल्प में मौजूद अवसंरचना का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग करते हुए विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण/समुदाय विकास कार्यकलापों का जिम्मा उठाने के लिए अधिदेशित किया गया है।

महिला सहभागियों के लिए अधिकतम लोक प्रिय पाठ्यक्रम इस प्रकार हैंः
वस्त्र निर्माण
वस्त्र छपाई
जरीदारी
खाद्य संसाधन
सचिवालयी कार्य

48. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानः**

खड़कपुर, बंबई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली गुवाहाटी और रूड़की में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को तकनीक संस्थान अधिनियम, 1961 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रचार करने और शिक्षा की तरक्की के लिए इंजीनियरी और तकनीकी में विश्व श्रेणी प्रशिक्षण प्रदान करना, संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान का संचालन करना है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश की तकनीकी आर्थिक क्षमता और तकनीकीय आत्म-निर्भरता को बढ़ाने में सदा प्रभावी रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपनी शैक्षिक कार्यकलापों और अनुसंधान कार्यक्रमों की विशिष्टताओं के द्वारा अपनी अलग प्रतिष्ठ स्थापित की है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विभिन्न निधिकरण एजेंसियों के लिए प्रायोजित अनुसंधान, औद्योगिक परामर्शदात्री और सतत शिक्षा कार्यकम आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को और अधिक मजबूत और एकीकृत किया जाएगा ताकि वे देश की तकनीकी शिक्षा प्रणाली को नेतृत्व प्रदान करना जारी रखें और राष्ट्रीय विकास में सार्थक योगदान प्रदान करें। मौजूदा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की क्षमताएं दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से बढ़ाई जाएगी। यह कार्य संकाय संसाधनों और सुविधाओं की यथेष्ट प्रयोग के माध्यम से अवसरंचना में केवल मामूली संवृद्धि द्वारा किए जाने की आशा है।

रूड़की विश्वविद्यालय को एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का रूप दिया गया और उसको सितम्बर 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया। सरकार ने रूड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रगतिशील बनाने और उसकी अवसरंचना और सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के दौरान 110 करोड़ रुपए की एक विशेष योजना सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता दी है, ताकि रूड़की संस्थान को भी अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समान स्तर पर लाया जा सकें।

49. **क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज(आरईसी)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी):**

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त जोखिम के रूप में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज की स्थापना की गई। स्नातकाधीन पाठ्यक्रमों का आवर्ती व्यय भारत सरकार द्वारा 50:50 आधार पर समान हिस्सेदारी पर किया गया। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर व्यय और कालेजों का समग्र अनावर्ती व्यय भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाता है।

डा0 आर.ए.माशेलकर, सीएसआईआर महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च स्तरीय समीक्षा समिति और संघ शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित उसकी शक्तिकरण समिति की सिफारिशों के तत्वावधान में सरकार ने सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को व्यावसायिक प्रबंधन संरचना और सम विश्व-विद्यालय स्तर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगकी संस्थाओं में परिवर्तित करने का प्रमुख निर्णय लिया है। अब तक 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तन किया गया है।

शेष क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को भी संबंधित राज्य सरकारी से सहमती प्राप्त होते ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित किया जाएगा।

50. **प्रशिक्षु प्रशिक्षण की स्कीमः** यह स्कीम स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों और 10+2(व्यावसायिक) उत्तीर्ण छात्रों को समय-समय पर यथासंशोधित शिशिक्षु

अधिनियम, 1961 के अनुसार और केंद्रीय शिशिक्षु परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है।

51. **भारतीय प्रबंध संस्थानः**

अहमदाबाद, कोलकाता, बंगलौर, लखनऊ, इंदोर और कालीकट में स्थित भारतीय प्रबंध संस्थाएं, ऐसी उत्कृष्ट संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना प्रशिक्षण और प्रबंधन शिक्षा में उच्च गुणवत्ता प्रदारन करना, अनुसंधान कार्य चलाना और प्रबंधन के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना आदि उद्देश्यों के साथ की गई थी।

भारतीय प्रबंध संस्थान राष्ट्र के प्रबंधकीय मानवशक्ति विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है तथा उभर रहे क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य भी पूरा करता है। उद्योगों के साथ आपसी सहयोग, अनुसंधान शिक्षण के लिए विश्व के बेहतर संस्थानों के समतुल्यता में ये संस्थाएं सर्वप्रथम प्रबंधन संस्थाएं हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान एक आदेश संस्थान(रॉल मॉडल)होने के नाते प्रबंधन शिक्षा के गुणवत्ता और मानकों में सुधार लाने के लिए अन्य संस्थानों के साथ अपने ज्ञान और कौशलों को बांटता है। भारतीय प्रबंध संस्थान ने अपने पूर्व-विद्यार्थी की गुणवत्ता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है।

52. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौरः**

भारतीय विज्ञान संस्थान, (आईआईएस) बंगलौर की स्थापना, स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना और मूल विज्ञानों और इंजीनियरी और तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 1909 में की गई थी। इन वर्षों के दौरान, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और उसके विशेषीकृत सभी क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में वैश्विक ख्याति अर्जित की है। उन्नत सामग्रियों, जैव प्रौद्योगिकी सूचना संसाधन और खाद्य संसाधन प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उद्योगों को सहायता प्रदान करने और प्रौद्योगिकी अंतरण, परिवर्तनात्मक अनुसंधान और विकास को बढ़ाने, उत्कृष्टता को समृद्ध करने और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में सफलता हासिल की है।

53. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदः**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति की स्थापना 1945 में एक वैधानिक संस्था के रूप में की गई थी और संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1987 में इसके एक सांविधिक प्रतिष्ठा भी प्रदान की गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति के मुख्य उद्देश्य, तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास करना, मात्रात्मक वृद्धि से संबंधित गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना, और तकनीकी शिक्षा में मानकों और प्रतिमानकों का अनुरक्षण करना हैं।

देश में तकनीकी शिक्षा की आयोजित संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक राष्ट्रीय तकनीकी मानवशक्ति सूचना प्रणाली (एनटीएमआईएस) स्कीम चला रहा है, जिसका उद्देश्य देश में तकनीकी मानव शक्ति की आपूर्ति और मांग पर बुनियादी आंकड़ों का संग्रहण करना आदि है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने डीईएलएनईटी और ईआरएनईटी स्कीमों के जरिए तकनीकी संस्थानों को नेटवर्किंग उपलब्ध करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। तकनीकी संस्थानों के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग और आधुनिकीकरण के प्रयोजन के लिए डीईएलएनईटी के साथ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों को इंटेरनेट संबद्धता उपलब्ध कराने के लिए ईआरएमईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शिक्षा और तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार को प्रभावित करने वाले तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु एशियाई देशों के व्यावसायिकों के बीच त्वरितता को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एशियाई प्रत्यायन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

54. **प्रौद्योगिकी विकास मिशनः**

सितम्बर 1991 में हुई आयोजना आयोग की पहली बैठक के दौरान प्रधान मंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर जैसे उत्कृष्ट संस्थानों को पूर्वानुमान और तकनीकी निर्धारण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि देश मे उभर रहे विज्ञान और तकनीकी की प्रवृत्तियों के विकास को प्राप्त करने के लिए भविष्य की पहुंचों को नई दिशा प्रदान कर सकें। इसके परिणामस्वरूप, निम्नलिखित सात महत्वपूर्ण सामान्य प्रणालीगत क्षेत्रों को अनुमोदित कर दिया गया थाः

खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी

एकीकृत डिजाइन और प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण

फोटोनिक उपकरण और तकनीकियां

ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगियां

संचार नेटवर्किंग और स्वचालित बुद्धिमता

नई सामग्रियां

आनुवंशिकी इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी।

55. **अपंगों के लिए पॉलीटेक्नीकः** योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग, आंशिक रूप से गूंगे बहरे) व्यक्तियों को मुख्य धारा में मिलाने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 50 विद्यमान पॉलीटेक्निकों के उन्नयन करने और उनका चयन करने के लिए है। यह संभावना है कि इन 50 पॉलीटेक्निकों से विभिन्न पाठ्यक्रमों से प्रतिवर्ष लगभग 1250 अक्षम नियमित छात्र और अल्पावधिक क्रमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 5000 अक्षम विद्यार्थी पास होकर निकलेंगे।

56. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियरः** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (आईआईआईटीएम) ग्वालियर की स्थापना व्यापक प्रबंधकीय कौशलों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के व्यावसायिकों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य से की गई है। वर्ष 2001 में इस संस्थान को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया।

57. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बईः** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) के माध्यम से यूएनडीपी की सहायता से वर्ष 1963 में एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईआईई), मुम्बई की स्थापना की गई थी। एनआईआईई को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में भी मान्यता दी गई है।

58. **राष्ट्रीय संधानशाला (फाउंडरी) और भट्टी (फोर्ज) प्रौद्योगिकी संस्थान, रांचीः** भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी की सहायता से वर्ष 1966 में राष्ट्रीय संधानशाला और भट्टी प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, संधानशाला, भट्टी और संबद्ध प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों का संचालन करना है और इन उद्योगों को प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन और प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना है।

59. **आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्लीः** आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, (एसपीए) नई दिल्ली की स्थापना, वास्तुकला और संबद्ध विषयों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1959 में की गई थी। वर्ष 1979 में संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

स्थायी शैक्षिक कार्यक्रमों के अलावा, एसपीए कार्यरत व्यावसायिकों और भारत के विभिन्न संस्थानों के संकाय सदस्यों को सेवाकालीन और अनवरत शिक्षा प्रदान करने के लिए कई अल्पावधिक पाठ्यक्रम संचालित करता है।

60. **तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानः**

ये सेवाएं आयोजना, डिजाइनिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और गुणवत्ता शिक्षा संगठन, बुहुशिल्प के लिए अनुसंधान अध्ययनों और लेर्निंग पैकेजों, उद्योगों और समुदाय में क्रियात्मक रूप से भाग लेती हैं। ये संस्थाएं सहायता को बढ़ा दिया जाता है, तथा विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनाशियनों की शिक्षा परियोजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के साथ अपने अनुभवों और निपुणताओं को बांटते हैं। टीटीटीआई ने उद्योगों और व्यापारों के साथ अपने मजबूत संबंध विकसित किए हैं तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ सामान्य अभिरूचि वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए व्यावसायिक संबंध भी बनाए हैं।

मंत्रालय ने एक प्रारूप प्रशिक्षण नीति का भी बनाई है जिसमें तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों को शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, निर्देशात्मक सामग्री विकास, अनुसंधान और परामर्श जैसे क्षेत्रों में अपनी बहु-भूमिका निभानी होती हैं। टीटीटीआई, विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना-3 के कार्यान्वयन के लिए सांधन केन्द्र के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभारते हैं, जिसका छः पूर्वोत्तर राज्यों(सिक्किम भी शामिल है), अंडमान व निकोबार आईस्लैंड और जम्मू व कश्मीर में बहुशिल्प की कवरेज हैं।

सं.57/माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

61. **संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल:** संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों तथा प्रायोगिक विज्ञान स्त्रोतों के क्षेत्र में कुशल मानवशक्ति को प्रेरणा देने के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था।

62. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद:** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) इलाहबाद सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, शिक्षण आदि प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

63. **इंडियन स्कूल आफ माइन्स (आईएसएम) धनवाद:**

खनन तथा संबद्ध क्षेत्रों में निर्देश और अनुसंधान उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम) धनवाद की स्थापना की गई थी। वर्ष 1967 में आईएसएम को केन्द्र सरकार के अधीन जिसे सम-विश्वविद्यालय माना जाए का दर्जा देते हुए एक स्वायत्त संस्थान के रूप में परिवर्तित किया गया।

यह स्कूल, भारत सरकार के विविध विभागों और एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनेक सहयोग अनुसंधान परियोजनाओं को चलाने में भी लगा हुआ है। स्कूल के कई समस्याओं को सुलझाने के लिए उद्योग के क्षेत्र में टेस्टिंग संसाधनों और परामर्शों को भी उपलब्ध कराए हैं।

64. **अनुसंधान और विकास स्कीम;**

अनुसंधान और विकास को,शिक्षा की प्रक्रिया में उत्तेजना एवं गतिवाद प्रदान करने और नये ज्ञान और अंतर्दृष्टि सृजित करने में अदा कर रही भूमिका के कारण उच्च शिक्षा का अनिवार्य तत्व के रूप में माना जाता है।

65. **आधुनिकीकरण और अप्रचलन को हटाने की स्कीम (एमओडीआरओबी):**

देश में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पुस्तकालय/प्रयोगशालाएं/कर्मशालाएं/कम्प्यूटरिंग सुविधाएं प्रबंधन,फारमसी,वास्तुकला संस्थानों में अप्रचलित को हटाने और आधुनिकीकरण करने के लिए अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रक्रियाओं के लिए इन संस्थानों की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिकीकरण किया जाता है।

66. **तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु स्कीम:**

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ उदीयमान क्षेत्रों में प्रयोगशाला एवं गुणवत्ता जनशक्ति के संदर्भ में आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए परियोजना आधारित वित्तीय सहायता हेतु यह स्कीम प्रावधान करती है।

* महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के संदर्भ में आधार सुविधा का विकास।
* ग्रामीण समाज एवं कमजोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान देकर देश एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं की विशालता को ध्यान में रखते हुए संस्थानों द्वारा कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का पता लगाकर उन्नत स्तरीय कार्य के लिए एक सुदृढ़ आधार विकसित करना, और
* परामर्शी कार्यों सहित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उद्योग एवं उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ चहुमुंखी संपर्क विकसित करना।

67. **प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम (बोट्स):**

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षु प्रशिक्षण की स्कीम का कार्यान्वयन एक सांविधिक आवश्यकता है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण की स्कीम लगभग 10,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों,डिप्लोमा धारकों (तकनीकीविद) और 10 2 व्यावसायियों उत्तीर्ण व्यक्तियों के लिए सांविधिक निकाय अर्थात केंद्रीय प्रशिक्षु परिषद (सीएसी) द्वारा निर्धारित नीतियों एवं मार्गनिर्देशों के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है।

उद्योग, समाज एवं समग्र रूप से विश्व की आवश्यकताओं के अनुसार उचित जनशक्ति उत्पादन के द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु तकनीकी शिक्षा सहायक है। इस स्कीम का लक्ष्य उद्योगों के परामर्श से नये स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों और 10 2 के व्यावसायिक उत्तीर्ण व्यक्तियों के बाद का व्यावहारिक प्राशिक्षण प्रदान करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में पूर्ण रूप से कुशल जनशक्ति/सुविज्ञ टेक्नोक्रैट्स को तैयार करना आज की आवश्यकता है। यह स्कीम तकनीकी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है।

इस स्कीम का मूल प्रयोजन जहां तक नये स्नातक इंजीनियरों,डिप्लोमाधारकों और 10+2 व्यावसायिक उत्तीर्णों का संबंध है व्यावहारिक/तैयार अनुभव के बीच किसी अंतराल को पूरा करना है ताकि उद्योग की आवश्यकता के अनुसार रोजगार की दुनिया में उनकी उपयुक्तता हेतु उनका कौशल बढ़ाया जा सके।

68. **व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान:** देश में पालीटेकक्किस के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की सहायता से देश में चलाए गई तकनीकी शिक्षा-1 एवं तकनीकी शिक्षा 2 परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिषा-3 नामक एक अन्य परियोजना शुरू की है। इस स्कीम के अन्तर्गत अरूणाचल प्रदेश,नागालैंड,मिजोरम,त्रिपुरा,मेघालय एवं सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य शामिल किए जाएंगे जिन्हें पहली दो परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जा सका था। पहली दो परियोजनाओं की तरह तकनीकी शिक्षा-3 परियोजना के पास केंद्रीय मार्गदर्शन,सहायता एवं मानिटरिंग कार्यतंत्र का एक छोटा हिस्सा है जिसके लिए एक नया राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट(एनपीआईयू)स्थापित किया गया है। एसपीआईयू के मुख्य कार्य परियोजना योजना एवं कार्यान्वयन ,मानिटरिंग एवं पुनरीक्षा परियोजना कार्यान्वयन,परामर्शी सेवाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था,तकनीकी शिक्षा से संबद्ध विभिन्न निकायों के साथ संपर्क करना आदि हैं।

69. **व्यावसायिक शिक्षा:** माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सामान्य शिक्षा की प्रणाली में महत्वपूर्ण सीमांत चरण है क्योंकि इस चरण पर मौजूदा शिक्षा नीति विकल्पों के अनुसार युवाओं द्वारा रोजगार के विश्व में प्रवेश करने अथवा तकनीकी/उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है। जैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संकल्पना की गई है, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेलता घटाने के लिए शैक्षणिक अवसरों के विविधीकरण की व्यवस्था करता है और यह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। योजना के अधीन +2 स्तर पर कृषि, व्यापार और वाणिज्य इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य और पराचिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि के क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

II. यह प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने, क्षेत्र व्यवसायिक सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें, पाठ्यक्रम निर्देशिका, प्रशिक्षण नियम-पुस्तिका, शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम तैयार करने, अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी समर्थन प्रणाली को सुदृढ़ करने, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को विशिष्ट अभिनव परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

III. वास्तविक लक्ष्यों के रूप में योजना व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 19608 खंडों के साथ 6800 स्कूलों में लगभाग 10 लाख विद्यार्थियों की नामांकन क्षमता सृजित करने में सक्षम हुई थी। यह योजना समाज द्वारा महसूस की जा रही आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए सभी पणधारियों के परामर्श से संशोधित की जा रही है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

70. **अन्य कार्यक्रम:**

1. **डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन:**

डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन की स्कीम के अन्तर्गत 1.1.1996 से 31.2.2000 तक की अवधि के लिए डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए निहित 80 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु राज्यों/संघ क्षेत्र के राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का कार्यान्वयन सीधे ही सरकार द्वारा किया जाता है।

2. **एजूकेशनल कंसल्टैन्ट्स इंडिया लिमिटेड (एड.सिल):**

शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट तैयार करने, पाठ्यक्रम तैयार करने, जनशक्ति आवश्यकता के मूल्यांकन,सर्वेक्षण करने आदि जैसे तकनीकी सहायता क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं को चलाने हेतु 1981 में भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में कंसलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड (एड.सिल) की स्थापना की गई। विदेश में

भारतीय शिक्षा प्रणाली के संवर्धन भारतीय संस्थाओं में विदेशी छात्रों की भर्ती और भारत तथा विदेश में एड.सिल के ग्राहकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भर्ती से संबंधित क्रियाकलापों को शामिल करने हेतु बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में एड.सिल ने अपने प्रचालन क्षेत्र को और व्यापक बना दिया है और इसने टर्नकी निर्माण एवं अधिप्राप्ति परियोजनाओं(शैक्षिणक संस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए) को हाथ में लिया है और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं भर्ती हेतु परीक्षा क्रियाकलाप भी चलाए हैं।

3. **एशियन इंस्ट्रीट्यूट आफ टैक्नोलाजी (एआईटी) बैंकाकः** सीटों के सदस्य राज्यों की उन्नत तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से सीटो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में 1959 में एआईटी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1967 में सीटो ने इसका नियंत्रण छोड़ दिया और इस संस्थान का नाम बदलकर एशियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी रखा गया तथा यह एक स्वायत्तशासी निकाय बन गया जिसका प्रबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड को सौंपा गया। एकआईटी के न्यासी बोर्ड में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से प्रतिष्ठित शिक्षाविद भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत सरकार,भारत में शैक्षणिक क्रियाकलापों और भारतीय उपस्कर एवं लाइब्रेरी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए के नकद अनुदान और संकाय में तैनाती के द्वारा एआईटी में अपना योगदान करती है।

4. **अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोगः**

भारत के पास विश्व में सबसे बड़ी वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति है। इसके पास विशाल शैक्षणिक आधार संरचना है। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएस, आईएसएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान और जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, बीएचय, जैसे विश्वविद्यालय विकसित देशों की संस्थाओं के साथ समान आधार पर सहयोग कर सकते है। भारत के पास शिक्षा, योजना एवं प्रशासन (जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, एनआईईपीए, टीटीटीआई, एनसीटीई और एंड सिल) के विकास के लिए स्वदेशी रूप से विकसित आधार संरचना है। इन सुविधाओं की साझेदारी अन्य विकासशील देशों के साथ की जा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के निम्नलिखित पहलुओं को कार्यान्वित किया जाना हैः

संकाय की तैनातीः एआईटी, बैंकांग,कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज फार टेक्नीशियन एजूकेशन, मनीला जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं और एशिया, अफ्रीका एवं एशिया उप-महाद्वीप के देशों में किसी संस्थाओं में जहां भारतीय संकाय की मांग विद्यमान है या उत्पन्न होती है संकाय की तैनाती करना।

परामर्शी सेवाः शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्मों के अधीन करार के अनुसार चुने गए देशों में संस्थाओं की स्थापना शैक्षणिक योजना एवं प्रबंध आदि के लिए।

संस्थानों से प्रस्तावों का समर्थनः विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक आदान-प्रदान के लिए उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर।

प्रावधानों का कार्यान्वयनः ऊपर शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्मों में उल्लिखित को छोड़कर,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करारों तथा अन्य अंतर-सरकारी करारों एवं इस प्रयोजनार्थ भारतीय दायित्वों को पूरा करने के लिए।

विदेशों में भारतीय प्रणाली के प्रचार हेतु और भारतीय तथा अन्य राष्ट्रों के साथ के संबंधित शैक्षणिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन,संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए।

सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित अन्य ऐसे क्रियाकलाप शुरू करने के लिए।

भारतीय संस्थानों में उन देशों से विदेशी छात्रों के आने को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों में भारतीय शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

5. **सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमः**

सूचना प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगतियों ने देश को जो अवसर प्रदान किए हैं उनका उपयोग करने के लिए आईटी जनशक्ति से संबंधित प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा गठित कार्यबल की सिफारिश के आधार पर आईटी में एक राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है।

6. **प्रौद्योगिकी शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशनः**

प्रौद्योगिकी शिक्षा ज्ञान संचालित वैश्विक वातावरण में देश को प्रतिस्पर्धी तीक्ष्णता प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण है।

नये और उदीयमान क्षेत्रों सहित प्रौद्योगिकी शिक्षा के सभी क्षेत्रों के समन्वित एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने तथा तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं के उन्नयन,मूल्यांकन एवं गुणवत्ता आश्वासन,विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा एवं स्नातकोत्तर शिक्षा,उच्च तकनीकी संस्थाओं में अनुसंधान जैसे सरकार के विभिन्न कार्यों के पर्यवेक्षण तथा विभिन्न चालू कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने एवं समन्वित प्रयास के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन की स्थापना की गई है।

7. **भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमः**

भारत सकरार के इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के उप-क्षेत्रक में गुणवत्ता सुधार करके उसे एक गतिशील,मांग संचालित,गुणवत्ता जागरूकता,कुशल एवं प्रगतिशील प्रणाली बनाना है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हो रहे तीव्र आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकासों के साथ चल सके।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक-क्रियाकलाप इस प्रकार हैंः (1) शैक्षणिक उत्कृष्टता का विकास (2) इंजीनियरी संस्थानों की नेटवर्किंग (3) प्रबंध क्षमता का विकास। पहले चरण के दौरान यह कार्यक्रम 70 से 80 प्रतियोगी रूप से चुने गए इंजीनियरिंग संस्थानों, जिनमें 18 अग्रणी संस्थन और शेष नेटवर्क संस्थान शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

केन्द्रीय घटक निम्नलिखित को सहायता प्रदान करता हैः (1) भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय स्तरीय चुनिन्दा संस्थाएं और (2) केन्द्रीय स्तर पर परियोजना की मानिटरिंग,व्यवस्था एवं कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय की सहायता हेतु राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट(एनपीआईयू)।

जैव-प्रौद्योगिकी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोरः

आईआईटी और आईआईएससी बंगलौर जैसी शीर्षस्थ संस्थाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधन हेतु विशेष जोर देने के एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शीर्षस्थ संस्थाओं के पास एक पूर्ण जैव-प्रौद्योगिकी विभाग होगा और जहां कहीं ऐसे कार्यक्म विद्यमान न हो वहां इस क्षेत्र में वह स्नातकपूर्व,स्नातकोत्तर और डाक्टरल स्तर पर ऐसे कार्यक्रम शुरू करेंगी। इस प्रस्ताव में इन संस्थाओं द्वारा संयुक्त उपयोग के लिए विशिष्ट केन्द्रीय सुविधाएं उत्पन्न करना भी शामिल है। देश में जैव-प्रौद्योगिकी क्षमता के दीर्घकालिक विकास में उसे प्रतियोगी लाभ प्रदान करने की इस कार्यक्रम से आशा की जाती है। यह देश में इस विषय के लिए गुणवत्तापूर्ण संकाय प्रदान करने में भी सहायक होगा।

राष्ट्रीय भूकम्प-इंजीनियरिंग शिक्षा कार्यक्रमः

देश में भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए एक राष्ट्रीय भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईईई) का प्रस्ताव किया जात है। इस कार्यक्रम में देश के व्यावसायिक इंजीनियरों एवं वास्तुकारों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने और भूकम्प इंजीनियरी में इंजीनियरी एवं वास्तुशिल्प संस्थाओं को जागरूक बनाते हुए अध्यापकों का प्रशिक्षण,पाठ्यक्रम सामग्री का विकास,पुस्तकालय संसाधनों का विकास,प्राथमिक और आधुनिकतम शिक्षण और अनुसंधान प्रयोगशालाएं शामिल होंगे। इस प्रयास का लक्ष्य देश में भूकम्प इंजीनियरी में क्षमता निर्माण करना और देश को भूकम्प के लिए तैयार करना होगा।

9. **दूरस्थ शिक्षा और वैब आधारित शिक्षा के लिए सहायताः**

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में दूरस्थ एवं वैब-आधारित शिक्षण अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को सीखने वालों की संख्या के संदर्भ में दबाव सामान्य रूप में जन समुदाय को और विशेष रूप में कमजोर वर्गों को शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाएगा। विभिन्न लक्षित वर्गों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैकल्पिक साधन एवं दूरस्थ शिक्षा को अपनाना अनिवार्य है। वैब-आधारित शिक्षण को अपनाना अनिवार्य है। वैब-आधारित शिक्षण,आन-लाइन शिक्षण,ई.मेल वीडियो कांफ्रेंसिंग,ई-चैट,वायस मेल,सीडी-रोम्स,मल्टी-मीडिया आदि के रूप में ऐसे वैकल्पिक साधनों को सूचना-प्रौद्योगिकी की सहायता से तकनीकी शिक्षा, लोगों को या समूहों को जिन्हें अभी तक यह उपलब्ध नहीं की जा सकी थी,उपलब्ध कराई जा सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण से तकनीकी शिक्षा प्रणाली अधिकाधिक सक्षम एवं प्रभावकारी होगी। शिक्षण एवं सीखना अधिक व्यक्तिनिष्ठ एवं पारस्परिक हो जाएगा, छात्रों को सीखने की अधिक प्रेरणा मिलेगी और वह विवेकपूर्ण सोच, विश्लेषणात्मक योग्यता,समस्या समाधान, मूल्यांकन योग्यता आदि जैसी

उच्च योग्यताएं विकसित करने के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

10. **राष्ट्रीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा और सक्षमता आधारित मूल्यांकन सेवाओं को सहायता:**

वर्ष 2002 से एक अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (एआईईईई) आयोजित करने का निर्णय लिय गया है। यह परीक्षा जेईई के अन्तर्गत शामिल की गई संस्थाओं को छोड़कर डीम्स विश्वविद्यालय,अन्य केन्द्रीय संस्थाओं तथा राज्यों/संघ राज्यों की शामिल होने की इच्छुक संस्थाओं (वे अपनी राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं या नहीं इस पर विचार किए बिना) के लिए इंजीनियरिंग कार्यक्रम प्रदान करेगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय संस्थाओं(जहां विद्यमान है) में अन्य राज्यों के छात्रों के लिए रखी गई शुल्क/भुगतान वाली दोनों प्रकार की सीटों के लिए प्रवेश इसी परीक्षा के माध्यम से दिए जाएंगे। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) को सौंपा गया है। इसके अलावा एमसीए/एमबीए के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा पर भी विचार किया जा रहा है।

11. **संसाधनों को इष्टतम बनाने के लिए संस्थाओं की नेटवर्किंग हेतु सहायता:**

भारतीय विज्ञान संस्थान,भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान देश की तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में एक आदर्श बन चुके हैं। गत वर्षों में इन्होंने ऐसी प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं,प्रशिक्षण एवं ज्ञान पद्धतियों,अनुसंधान परिवेशों एवं संस्कृति को विकसित किया है जो विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं से तुलना योग्य हैं। इसके अतिरिक्त देश में काफी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ सहायता मिलने पर उत्कृष्ट क्षमता उत्पन्न कर सकती है।

उपर्युक्त को देखते हुए इन संस्थाओं की नेटवर्किंग की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि हमारे पास भारी संख्या में ऐसी गुणवत्तापूर्ण संस्थाएं हो सकें जो अपनी शैक्षणिक एवं अनुसधान उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हों।

यद्यपि प्रभावकारी नेटवर्किंग के लिए इलैक्ट्रॉनिक संयोजनता महत्वपूर्ण है परन्तु इस उपाय के अन्तर्गत व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क पर जोर दिया जाएगा ताकि शीर्षस्थ संस्थाओं की उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं अनुसंधन संस्कृति अन्य संस्थाओं में हस्तांतरित की जा सके।

12. **अनौपचारिक क्षेत्रक विकास:**

इस स्कीम का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्रक में कामगारों के लिए उत्पादकता एवं आय का एक न्यूनतम स्तर प्रदान करना है।

13. **शैक्षणिक प्रशासन विकास की सहायता-स्कीम:**

इस स्कीम के उद्देश्य आईआईएम आदि जैसी ऐसी संस्थाओं में कार्यरत आवश्यकता वाले शिक्षाविदों को प्रारंभ में प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों में जानकारी हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में प्रबंधन क्षेत्र में उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रबंध शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने,अनुसंधान करने एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तथा जनता/ग्राहकों के साथ प्रशासनिक रूप में कार्य करने के उद्देश्यों से स्थापित उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में माना जाता है।

71. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (नेरिस्ट):**

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (नेरिस्ट) की 1986 में ईटानगर में स्थापना की गई थी।

72. **विद्यालयों में योग को बढ़ावा देना:**

इस स्कीम का उद्देश्य राज्यों/संघ क्षेत्र के राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को अध्यापकों के शिक्षण,आधार संरचना निर्माण अर्थात योग प्रशिक्षणार्थियों के लिए हास्टिलों के निर्माण, अनुदान प्रदान करने और पुस्तकालय सुविधाओं के उन्नयन पर व्यय के लिए वित्तीय सहायता देना है।